रजिस्ट्री सं० डी(डी)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 1979/माघ 18, 1900
No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 1979/MAGHA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 6/7 फरवरी, 1979

सं० एस०-27025/6/78-फैक.—सरकार कुछ समय से देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की व्यापक विद्यमानता के बारे में चिंतित है। बालकों के नियोजन के लिये उत्तरदायी कारणों तथा उनके नियोजन से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये, सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। इसका गठन निम्नानुसार होगा :—

1. श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी — अध्यक्ष
   578, थर्ड क्रोस,
   सैवेन्थ मेन,
   होसाहाल्ली एक्सटेंशन, बंगलौर-40
2. श्री एस० डब्ल्यू०, धाबे, संसद सदस्य, — सदस्य
   162, साउथ एवेन्यू,
   नई दिल्ली
3. श्रीमती कमला बहुगुणा, संसद सदस्य, — सदस्य
   5, सुनहरी बाग,
   नई दिल्ली
4. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, संसद सदस्य, — सदस्य
   28, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड,
   नई दिल्ली
5. श्री मुसाफिर सिंह, — सदस्य
   उप-निदेशक,
   राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता तथा
   बाल विकास संस्थान, बम्बई
6. कुमारी एम० खांडेकर, — सदस्य
   टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशिल
   साइन्सिज, बम्बई।
7. प्रतिनिधि—उत्तर प्रदेश सरकार — सदस्य
8. प्रतिनिधि—बिहार सरकार — सदस्य
9. प्रतिनिधि—गुजरात सरकार — सदस्य
10. प्रतिनिधि—केरल सरकार — सदस्य
11. डा० राम के० वेपा, — सदस्य
    विकास आयुक्त, लघु उद्योग,
    उद्योग मंत्रालय,
    नई दिल्ली
12. श्री बी०एस०, भाभ्याम, — सदस्य
    संयुक्त सचिव,
    विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय
    (विधायी विभाग),
    नई दिल्ली

13. श्री एम०एम० राजेन्द्रन, सदस्य
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली

14. श्री जी०डी० बैयलूर, सदस्य
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय,
नई दिल्ली

15. श्री एम०वी०एस० राव, सदस्य
रोजगार सलाहकार,
योजना आयोग,
नई दिल्ली

16. श्री एच० पायस, सदस्य
संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) वर्तमान कानूनों, उनकी पर्याप्तता तथा कार्यान्वयन पर विचार करना और कार्यान्वयन में सुधार करने तथा त्रुटियों को दूर करने के लिये उपचारी कार्यवाही का सुझाव देना।

(2) बाल श्रमिकों के विस्तार, व्यवसाय जिनमें बालक नियोजित हैं, आदि पर विचार करना, और ऐसे नवीन क्षेत्रों का सुझाव देना जहां बालकों के नियोजन को समाप्त करने/उसे विनियमित करने के लिये कानून लागू किये जा सकते हैं।

(3) कल्याण उपायों, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सुझाव देना, जिन्हें नियोजित बालकों के हित के लिये लागू किया जा सकता है।

3. समिति से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट 6 मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करे।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और सचिवालय सहायता की व्यवस्था श्रम मंत्रालय में बालक सेल द्वारा की जायेगी।

5. समिति स्वयं अपनी कार्य-पद्धति का निर्माण करेगी। वह ऐसी सूचना मांग सकती है तथा ऐसी गवाही ले सकती है जो वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी सूचना, सामग्री तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और सभी ऐसी सहायता प्रदान करेंगे, जो समिति को जरूरत हो।

6. राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमित निकायों, नियोजकों तथा श्रमिकों के संगठनों और अन्य सभी संबंधित संगठनों, संघों, संस्थाओं से इस समिति को अपना सहयोग देने का अनुरोध किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाये।

म० सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 6/7th February, 1979

No. S-27025/6/78-Fac.—Government has for some time been viewing with concern the widespread existence of child labour in the country both in the organised and unorganised sectors. In order to look into the causes leading to and the problems arising out of employment of children, Government have decided to set up a Committee with the following composition:—

1. Shri M.S. Gurupadswamy, 578, Third Cross, Seventh Main, Hosahalli Extension, Bangalore-40. — Chairman
2. Shri S.W. Dhabe, M.P., 162, South Avenue, New Delhi. — Member
3. Smt. Kamala Bahuguna, M.P., 5, Sunehri Bagh, New Delhi. — Member
4. Smt. Margaret Alva, M.P., 28, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi. — Member
5. Shri Musaffir Singh, Deputy Director, National Institute of Public Cooperation and Child Development, Bombay. — Member
6. Miss M. Khandekar, Tata Institute of Social Sciences, Bombay. — Member
7. Representative of the Government of Uttar Pradesh. — Member
8. Representative of the Government of Bihar — Member
9. Representative of the Government of Gujarat — Member
10. Representative of the Government of Kerala — Member
11. Dr. Ram K. Vepa, Development Commissioner, Small Scale Industries, Ministry of Industry, New Delhi. — Member
12. Shri V.S. Bhashyam, Joint Secretary, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department), New Delhi. — Member
13. Shri M.M. Rajendran, Joint Secretary, Department of Social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi. — Member
14. Shri G.D. Bailur, Joint Secretary, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi. — Member

15. Shri M.V.S. Rao, Adviser Employment, Planning Commission, New Delhi.	Member
16. Shri H. Pais, Joint Secretary, Ministry of Labour, New Delhi.	Member Secretary

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) Examine existing laws, their adequacy and implementation, and suggest corrective action to be taken to improve implementation and to remedy defects.

(ii) Examine the dimensions of child labour, the occupations in which children are employed etc., and suggest new areas where laws abolishing/regulating the employment of children can be introduced.

(iii) Suggest welfare measures, training and other facilities which would be introduced to benefit children in employment.

3. The Committee is requested to submit its report within a period of six months.

4. The Headquarters of the Committee will be New Delhi, and it would be provided Secretariat assistance by the Ministry of Labour in the Children's Cell.

5. The Committee will devise its own procedures. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information, material and documents and render all such assistance as may be required by the Committee.

6. State Governments/Union Territory Administrations, Public undertakings and Corporate bodies, organisations of employers and workers, and all other concerned organisations, associations and institutions are requested to extend to the Committee their co-operation.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Union Territory Administrations and other concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SETH, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979